मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

सूचना क्रमांक 01/02/2019, दिनांक 22.02.2020

सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र एवं विस्तार) परीक्षा 2019

शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण की सूचना

शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **25.03.2020**

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग हेतु सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास (क्षेत्र एवं विस्तार) के कुल 37 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 02/2019, दिनांक 01.11.2019 आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in, एवं www.mppsc.com पर जारी किया गया है तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 04.11.2019 के अंक में भी प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु **₹ 1250/-** एवं शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु **₹ 2500/-** निर्धारित थी।

03 शुद्धिपत्र क्रमांक 02/02/2019, दिनांक 18.11.2019 के द्वारा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क मे कमी कर मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु **₹ 500/-** एवं शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु **₹ 1000/-** की गयी थी। दिनांक 18.11.2019 के पूर्व आवेदन कर चुके अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में शुल्क वापसी ऑनलाइन पद्धति से की जाएगी। शुल्क वापसी की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

1. शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2020 से 25.03.2020 तक किए जा सकेंगे। दिनांक 25.03.2020 को रात्रि 12:00 बजे के बाद ऑनलाइन आवेदन की सुविधा बंद कर दी जाएगी। शुल्क वापसी के ऑनलाइन आवेदन केवल उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गए लिंक के माध्यम से किया जा सकेगा अन्य किसी विधि से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. शुल्क वापसी के Module में विहित स्थान पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करने पर अभ्यर्थी द्वारा जमा शुल्क का विवरण तथा अभ्यर्थी की मूल जानकारियॉ प्रदर्शित होगी जिसकी पुष्टि के बाद अभ्यर्थी शुल्क वापसी के आवेदन को भरेगा। शुल्क वापसी आवेदन में अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर के साथ अपने स्वयं के बैंक खाते के विवरण यथा; खाता क्रमांक, बैंक का नाम, IFSC कोड दर्ज करना होगा तथा अपना आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट जिसमें खाता क्रमांक, खाता धारक का नाम, बैंक के IFSC कोड आदि स्पष्टतः अंकित हो अपलोड कर शुल्क वापसी हेतु आवेदन करेगा।

3. समस्त प्राप्त शुल्क वापसी आवेदन के परीक्षण उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी के बैंक खातें में शुल्क की राशि का ऑनलाइन पद्धति से भुगतान किया जाएगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें की उनके द्वारा प्रविष्टियों में की गयी किसी भी त्रुटि के कारण यदि उनका ऑनलाइन भुगतान असफल होता है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ मे कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

03 जिन अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क वापसी की उक्त सुविधा का उपयोग करते हुये निर्धारित समयावधि में शुल्क वापसी का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उनके द्वारा बाद में शुल्क वापसी हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

उप सचिव